चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/3382
दिनांक : 02.02.2021

अधिसूचना

विद्वत परिषद की दिनांक 15.01.2021 को सम्पन्न हुई बैठक के मद संख्या–2 के संकल्प में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई–7471/12–जी0एस0(मिस–II) दिनांक 08.12.2020 द्वारा विश्वविद्यालय के पत्रांकः–ओ0यू0/2920/2020 दिनांक 20.11.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करते हुये कुलपति ने उत्तर प्रदेश के कतिपय राज्य विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत (Private) शिक्षार्थी के रूप में प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था को प्रतिबंधित किये जाने के सम्बन्ध में विद्वत परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विचार किया गया कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ का परिक्षेत्र ग्रामीण अंचल, निर्धन कृषक परिवारों तथा कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के बिन्दु–10.10 में वर्णित दूरस्थ शिक्षा अथवा उसके घटकों द्वारा सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) की वृद्धि करना इंगित करता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा इस आलोक में व्यक्तिगत शिक्षा को प्रोत्साहित करते रहने का संकल्य यथावत बनाये रखते हुये व्यक्तिगत विद्यार्थियों (Private Students) का परीक्षा के लिए पंजीकरण कराते हुये उनकी परीक्षा सम्पादित कराते रहने का निर्णय लिया गया। शिक्षा के मानकों को बनाये रखने के लिए वर्ष 2022 की परीक्षा से यह निर्णय लिया गया कि व्यक्तिगत तथा संस्थागत विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम समान होगा। जिस पर विचारोपरान्त विद्वत परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत शिक्षार्थी के रूप में प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था पर पूर्व की भांति जारी रखने का निर्णय लिया गया ।

02-02-2021

परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–</u>

1– वैयक्तिक सहायक कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2– वैयक्तिक सहायक प्रति–कुलपति को प्रति–कुलपति जी के सूचनार्थ।
3– वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
4– सहायक कुलसचिव (गोपनीय, परीक्षा)।
5– प्रेस प्रवक्ता
6– प्रभारी कमैटी सैल।

परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव